// जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर 11/7/2022
www.jda.urban.rajasthan.gov.in V-62

क्रमांकः–जविप्रा / उपा. / जोन–09 / 2022 / डी– 2939 दिनांकः– 11-7-2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदको द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड किया गया हैं। इस सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चा आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण / लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. स	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	07	200.00 वर्ग गज	महादेव नगर	श्रीमती शिमला शर्मा पत्नी श्री राजकुमार शर्मा	गिरीश माथुर पुत्र श्री घनश्याम माथुर	गुम हुए दस्तावेज के सम्बंध में उपपंजियक कार्यालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि, एफआईआर की प्रति, खोया पाया आदि।

उपायुक्त जोन–9,
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का करावें।

उपायुक्त जोन–9,
जविप्रा, जयपुर।

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {8320}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल { abusufiyan.ras@gmail.com}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा / उपा. / जोन–12 / 2022 / डी– 1816 दिनांक 11-7-2022

–: सार्वजनिक सूचना :–

शिव शंकर हाउसिंग कॉ–आपरेटिव सोसायटी लि. की योजना गणेश विहार के भूखण्ड संख्या 108 क्षेत्रफल 244.44 व.ग. का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग)	योजना का नाम	मूल आंवटी का नाम	प्रथम से विक्रय संबंधित अन / रजिस्ट्रर्ड दस्तावेजों की चैन का विवरण	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	108	255.55	वृदावन विहार	श्रवण लाल चौधरी पुत्र श्री झूंथा राम चौधरी	अपंजिकृत ईकरारनामा के द्वारा श्रीमती जीना देवी कुमावत पत्नी श्री गंगाराम कुमावत को दिनांक 05.09.2001 को	श्रीमती जीना देवी कुमावत पत्नी श्री गंगाराम कुमावत, निवासी–ए–28, चान्द बिहारी नगर, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर।

PRO R-860 11/7/22

उक्त भूखण्ड का प्रस्तुत अपंजिकृत ईकरारनामा व उक्त योजना की सदस्यता सूची के क्रमांक 108 पर भूखण्ड संख्या 108 क्षेत्रफल 224.44 व.ग. श्रवण लाल चौधरी पुत्र श्री झूंथा राम चौधरी का नाम अंकित होने के आधार पर पट्टा / लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का पट्टा / लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष मे कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा./जोन–12/2022/डी– 1818 दिनांक 11-7-2022

PRO–861 11/7/22

–: सार्वजनिक सूचना :–

सुभाष सिन्धी कॉपरेटिव सोसायटी प्रा. लि. की आवासीय योजना तिरूपति विहार के भूखण्ड संख्या 82 क्षेत्रफल 200.00 व.ग. में से 82 उत्तरी भाग क्षेत्रफल 133.33 व.ग. फ्री–होल्ड पट्टा जारी करने का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.)	योजना का नाम	मूल आंवटी का नाम	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	82 उत्तरी भाग	133.33	तिरूपति विहार	श्री रामनाथ सैनी पुत्र श्री हनुमान सहाय सैनी	श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री रूपनारायण शर्मा

आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र व शपथ पत्र के आधार पर नाम हस्तान्तरण/फ्री–होल्ड पट्टा करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष मे कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा / उपा. / जोन–12 / 2022 / डी– 1810 दिनांक 08-7-2022

—: सार्वजनिक सूचना :—

शिव शंकर हाउसिंग कॉ–आपरेटिव सोसायटी लि. की योजना गणेश विहार के भूखण्ड संख्या 106 क्षेत्रफल 255.55 व.ग. का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग)	योजना का नाम	मूल आंवटी का नाम	प्रथम से विक्रय संबंधित अन / रजिस्ट्रर्ड दस्तावेजों की चैन का विवरण	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	106	255.55	वृदावन विहार	शकुन्तला जैन पत्नी श्री ज्ञानचन्द जैन	अपंजिकृत ईकरारनामा के द्वारा श्री विनोद कुमार कुमावत पुत्र श्री गंगाराम कुमावत को दिनांक 09.02.1999 को	श्री विनोद कुमार कुमावत पुत्र श्री गंगाराम कुमावत, निवासी–ए–28, चान्द बिहारी नगर, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर।

PRO-869
11-7-22

उक्त भूखण्ड का प्रस्तुत अपंजिकृत ईकरारनामा व उक्त योजना की सदस्यता सूची के क्रमांक 106 पर भूखण्ड संख्या 106 क्षेत्रफल 255.55 व.ग. शकुन्तला जैन पत्नी श्री ज्ञानचन्द जैन का नाम अंकित होने के आधार पर पट्टा / लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का पट्टा / लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष मे कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा / उपा. / जोन–4 / 2022 / डी–1460 **दिनांक.** 8-07-2022

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजत् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांकः से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण / लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	गृ. नि. स. स.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	14	शांति गृ. नि. स. स.	हरदेव कॉलोनी	श्री गोपेश गर्ग व श्री नीरज गर्ग पुत्रान स्व. श्री सियाराम गर्ग	लीजधारिका श्रीमती उमा गर्ग पत्नी श्री एस. आर. गर्ग	लीजधारिका का मुत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 11.08.2013 अपंजीकृत वसीयत दिनांक 20.04.2011 वसीयत में उल्लेखित गवाहों के शपथ पत्र दिनांक 08.06.2022 सजरा शपथ पत्र दिनांक 08.06. 2022 आदि।

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांकः 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांकः 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

07/07/22

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर– 302004
दूरभाष - 0141–2574798 : ईपीबीएक्स - 91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई मेल
:dc.zone04@jaipurjda.org

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–6/22/डी–2112 दिनांक :– 11/11/22

विज्ञप्ति/सूचना 2112

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध मे यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष मे नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आंवटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	भू.स.–158	तारानगर–ए (म्युचुअल हॉ.कॉ.सो)	श्रीमती मधु जांगिड पत्नी श्री कैलाश चन्द्र जांगिड	श्रीमति शिवप्यारी देवी शर्मा पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा	वसीयत के आधार पर विक्रय करने के सम्बन्ध मे।
2.	भू.स. –सी–108, 109	मुरलीपुरा स्कीम (जविप्रा)	मोहम्मद शब्बीर चौबेदार एवं सलीम खान पुत्र लाल मोहम्मद	श्रीमति पदमावती पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश	मृत्यु के आधार पर
3.	भू.स.–20	अल्कापुरी–बी (श्री छत्रपति गृ.नि. स.स.)	श्री शैल दीक्षित पत्नी श्री रामविनोद दीक्षित	श्री शैल दीक्षित पत्नी श्री रामविनोद दीक्षित	दस्तावेजात् गुम होने के कारण।

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम मे उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र मे कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

ाांक :– 8.7.2022

ाकः जविप्रा / जोन–9 / 2022 / डी– 3905

सहायक निदेशक (जन सम्पर्क),
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

विषयः–90 ए की लोक सूचना प्रकाशन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण 90ए (Suomo क सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सूचना 08 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय स प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराने

संलग्न–लोक सूचना।

उप जोन–9
जयपु जयपुर

30

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या D-1427   दिनांक 11/7/2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **अम्बेश्वर गृ.नि.स.स.** की योजना **सालासर वाटिका '6'** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	90'क' किये जाने योग्य रकबा	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
ग्राम हरनाथपुरा तहसील जयपुर	87/2	0.7335 है.	0.7335 है.	अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति जरिये प्रतिनिधि कैलाश चन्द पुत्र कानाराम सैनी जाति माली

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.झा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पीबी–एसएफ–218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 11/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

Sd

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–7

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/101950 /3920 DATED- 11 7 2022

लोक सूचना

खातेदार आवेदक नयनसुख पुत्र जगन्नाथ, मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ, मोहरूराम पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर, जयपुर **द्वारा इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।** अर्थात:–

जिले सहित ग्राम, तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम–रामनगरिया तहसील–सांगानेर जिला–जयपुर	1. नयनसुख पुत्र जगन्नाथ हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा.देह 2. मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा.देह 3. मोहरूराम पुत्र जगन्नाथ हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा.देह निवासी ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर	414/412 415/412 416/412	0.2287 0.2286 0.2286
कुल		कुल किता 3	रकबा 0.6859 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ओर अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है। और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 11.7.22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर
उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर
उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/101952 DATED- 11/7/22

लोक सूचना

खातेदार आवेदक कैलाश चन्द मीना, गुलाब चन्द मीना, मुकेश मीना, रामकिशोर, रामावतार मीना पुत्रान श्री घासी राम निवासी ढहला की ढाणी, ग्राम सिरोली, सांगानेर द्वारा इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थातः—

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम–सिरोली तहसील–सांगानेर जिला–जयपुर	1. कैलाश चन्द मीना पुत्र घासी राम हिस्सा 1/5 जाति मीणा, 2. गुलाब चन्द मीना पुत्र घासी राम हिस्सा 1/5 जाति मीणा 3. मुकेश मीना पुत्र घासी राम हिस्सा 1/5 जाति मीणा 4. रामकिशोर पुत्र घासी राम हिस्सा 1/5 जाति मीणा 5. रामावतार मीना पुत्र घासी राम हिस्सा 1/5 जाति मीणा निवासी ढहला की ढाणी, ग्राम सिरोली, सांगानेर	3392/1521 3393/1521 3394/1521	0.2800 0.1100 0.0071
कुल		कुल किता 3	रकबा 0.3971 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ओर अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है। और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 11-7-22 को जारी की गयी।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

प्रतिलिपी–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल ज़वाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या........3905 दिनांक........08.7.2022

प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही निम्नांकित खातेदारो की खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

क्र.सं.	ग्राम का नाम मय तहसील	सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टे. मे)	खातेदार का नाम
1.	मनोहरपुरा, तहसील सांगानेर	दी फोरेस्ट व्यू गृह निर्माण सहकारी समिति	राम विहार	**550** **551**	0.02 0.40 ——— **कुल रकबा 0.42**	नानगा पुत्र जगन्नाथ, रामसहाय पि. मु. प्रहलाद कौम नाई सा. देह

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 मे उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों मे स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90–ए (8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनियों मे धारा 91 सहपठित धारा 90ए (5) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90क एवं तत्धीन बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियमन 2012 के नियम 4 मे किये गये संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस मे कमरा न. 306, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक........08.7.2022........को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी

जोन–9

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर